डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-96

New Delhi: 26.02.2021

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा
गांव - सिथरोली , पोस्ट - हाथरस जंक्शन
जनपद -हाथरस -204102
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.01.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को प्राप्त हुआ।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रेषित अपने दिनांक 27.01.2021 के आवेदन का अवलोकन करें, जिसमें आपने शिकायती पत्रों दिनांक 17.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 के उपर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा माँगा है। इस सम्बन्ध में आपको ज्ञात हो कि आपके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों का दिनांक 14.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 है, जिसकी प्रतिलिपि आपने आर टी आई आवेदन दिनांक 27.01.2021 के साथ संलग्न की है एवं जो श्री निर्मल कुमार सिन्हा (OMBUDSMAN), DFCCIL को सम्बोधित है, एवं इसकी प्रति को अलग-अलग अधिकारियों को भेजी गई है। इन शिकायती पत्रों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक ही मुद्दे पर सभी अधिकारियों को अलग-अलग पत्र भेजा गया। अतः, इन्हें संयुक्त महाप्रबंधक /जन शिकायत को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया। इस सम्बन्ध में संयुक्त महाप्रबंधक /जन शिकायत द्वारा दोनों शिकायती पत्रों की जाँच सम्बंधित कार्यालय से करवाकर आपको को पत्र संख्या HQ/PG/TLD/1/2020 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा सूचित कर दिया है (प्रति संलग्न है)।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आरo पीo छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्नः 03 पृष्ठ

प्रेषण
26 FEB 2021

26/02/2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Supreme Court, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

No. HQ/PG/TDL/1/2020

Dated: 22.02.2021

श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा
ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथर जंक्शन
तहसील व जनपद हाथरस
उत्तर प्रदेश
मो.नं. 9837352824

विषयः 132 के.वी. डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन के पुराने टावर को विस्थापित करने के उपरान्त नई संशोधित लाइन हेतु आपकी जमीन पर डीएफसीसीआईएल एवं एपीएस कम्पनी द्वारा दो टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व पुराने टावर फाउन्डेशन को विस्थापित उपरांत टावर फाउन्डेशन को आपकी जमीन पर यथास्थिति आने व क्षति हुई जमीन व फसलों की शेष मुआवजा राशि का भुगतान आजतक न किये जाने के संबंध में आपका अभ्यावेदन।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्र संख्या HQ/PG/TDL/2/2019 दिनांक 26.09.2019 (छायाप्रति संलग्न)।
2. इस कार्यालय का पत्र संख्या HQ/PG/TDL/1/2020 दिनांक 22.06.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त विषय पर अवगत कराया जाता है कि आपके दिनांक 26.06.2019 एवं 02.03.2020 के शिकायती पत्रों का जवाब पूर्व में ही इस कार्यालय के उपरोक्त क्रमशः संदर्भित पत्रों के माध्यम से भेजा जा चुका है।

आपके दिनांक 14.08.2020 एवं 27.10.2020 के पत्रों की जाँच इस कार्यालय की टुंडला ईकाई से करवाई गई है और वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको यह सूचित किया जाता है कि आपकी जमीन गाटा संख्या 372(अ) पर 132के.वी. लाईन के टावर संख्या 924/1 के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आपको निम्नलिखित चैकों के द्वारा 2 लाख रूपये की धनराशि दी जा चुकी है। प्रथम चैक सं0 256754 रुपये 1,00,000 दिनांक 26.03.2018 तथा दूसरा चैक सं0 256795 रुपये 1,00,000 दिनांक 05.04.2018 को श्री विलोचन के नाम से देय है तथा आपने उन चैकों को अपने हस्ताक्षर करने के बाद प्राप्त किया है। आपको टावर संख्या 924/1 फाउंडेशन, इरेक्शन तथा तार बिछाने के समय हुए फसल नुकसान का मुआवजा समय-समय पर दिया जा चुका है दिनांक 23.03.2018 को टावर डिसमेंटलिंग के समय पर साइट पर लिए गये फोटो यह साफ दर्शाते है कि खड़ी टावर वाले खेत में डिसमेंटलिंग के समय कोई भी फसल नहीं थी अतः आपका फसल संबंधित कोई नुकसान नहीं हुआ है।

आप द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ.प्र. शासन से जनसूचना अधिकारी अधिनियम-2005 के अंतर्गत पारेक्षण लाइन से प्रभावित भू-स्वामी को भूमि अधिग्रहण से लाभान्वित होने तथा रेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूस्वामी को लाभान्वित होने के संदर्भ दिये गये है जिसके संबंध में आपको यह अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन विशेष परियोजना माध्यम साधन है तथा डीएफसीसीआईएल मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा 132 के.वी. पारेषण लाइन बिछाने के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये है।

आपके दिनांक 17.08.2020 एवं 27.10.2020 के शिकायती पत्र टुंडला ईकाई को क्रमशः 27.08.2020 एवं 06.11.2020 में टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भेजे गये थे वहा से आपकी शिकायतों की जांच पडताल करने के उपरांत दिनांक 19.02.2021 में प्राप्त टिप्पणी के आधार पर आपको यह पत्र सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उल्लेखानुसार

अनिल 22.2

(अनिल कुमार शर्मा)
संयुक्त महाप्रबंधक / जन शिकायत / सिविल

प्रतिलिपि : Ombudsman/DFCCIL को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd

(A Government of India Enterprise)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PG/TDL/2/2019

Dated: 11.09.2019

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा
ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथर जंक्शन
तहसील व जनपद हाथरस
उत्तर प्रदेश
मो.नं. 9837352824

विषयः पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि में फसल नष्ट होने के संबंध में आपका अभ्यावेदन।

उपरोक्त विषय पर प्रार्थी के दिनांक 26.06.2019 के पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता हैं कि प्रार्थी के कथनानुसार टावर संख्या 924/1 जोकि प्रार्थी के खेत में पहले से पुरानी रेलवे लाइन 132 के0वी0 ट्रांसमीशन लाइन का खड़ा था जो कि दिनांक 23.03.2018 को डिसमेंटलिंग किया गया था। टावर डिसमेंटलिंग के समय पर साइट पर लिये गये फोटो यह साफ दर्शाते है कि खड़ी टावर वाले खेत में डिसमेंटलिंग के समय कोई भी फसल नहीं थी। अर्थात खेत खाली था तथा प्रार्थी के कथनानुसार डिसमेंटलिंग के समय प्रार्थी का कोई नुकसान नही हुआ है। (5 नं0 फोटो संलग्न है)

मैसर्स एसोसियेटेड पावर स्ट्रैक्चर्स प्रा0लि0 के द्वारा खेत के मालिक को दो लाख की धनराशि दी गयी थी। प्रार्थी का साक्ष्य के रूप में दो चैक जारी किये गये हैं। प्रथम चैक सं0 256754/रुपया 1,00,000 दिनांकः– 26.03.2018 तथा दूसरा चैक सं0 256795/रुपया 1,00,000 दिनांकः– 05.04.2018 को श्री विलोचन के नाम से देय हैं तथा प्रार्थी ने उन चैकों को अपने हस्ताक्षर करने के बाद प्राप्त किया है। जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थी का फसल सम्बन्धी नुकसान का कोई भी मुआवजा नहीं बनता है तथा प्रार्थी का कथन असत्य है। प्रार्थी द्वारा मैसर्स एसोसियेटेड पावर स्ट्रैक्चर्स प्रा0लि0 के पते के बारे में जानकारी चाही है जो कि निम्न हैः–

मैसर्स एसोसियेटेड पावर स्ट्रैक्चर्स प्रा0लि0
905/3, जी.आई.डी.सी., मकरपुरा,
वडोदरा – 391001

मुकेश कुमार
(एम.के. जैन) 12.9.19
समूह महाप्रबंधक/एल ए एवं सेमू/ई.सी.

प्रतिलिपिः– मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी.एफ.सी.सी.आई.एल., टुंडला।

56 S.A

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110(

Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: **www.dfccil**

प्रेषण
23 JUN 2020

ED 011165677IN

No. HQ/PG/TDL/1/2020 **Dated:22.06.2020**

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा
ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथर जंक्शन
तहसील व जनपद हाथरस
उत्तर प्रदेश
मो.नं. 9837352824

विषयः पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि में फसल नष्ट होने के संबंध में आपका अभ्यावेदन।

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 02.03.2020 के पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपने टावर सं. 924/1 के फाउंडेशन तथा कंडक्टर बिछाने के समय प्रभावित जमीन के क्षेत्रफल का जिक्र किया है। उपरोक्त के संदर्भ में आपको टावर फाउंडेशन, इरेक्शन तथा तार बिछाने के समय हुए फसल नुकसान का मुआवजा समय-समय पर दिया जा चुका है तथा आपने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं प्रमुख सचिव उर्जा, उ.प्र.शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संज्ञान देते हुए अपनी प्रभावित जमीन का 4 गुना मुआवजा तथा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान देने हेतु लिखा है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि प्रभावित जमीन का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है केवल फसल का मुआवजा देने का प्रावधान है जो कि पहले ही दिया जा चुका है और जमीन मुआवजे के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।

अनिल 22.

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबंधक/लोक शिकायत

प्रतिलिपिः- श्री अरूण कुमार तिवारी, निदेशक/पीपीप(सिविल), रेलवे बोर्ड - पत्र संख्या 2015/इंफ्रा/12/विविध/भाग-IV के संदर्भ में।